निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1936 (शo)
(सं0 पटना 542) पटना, मंगलवार, 1 जुलाई 2014

सं0 जी0/यो0-31-42/2013-4019/जे0
विधि विभाग

संकल्प

26 जून 2014

विषय :-महिला उत्पीड़न से संबंधित वादों के लिए तथा बालकों, नि:शक्त व्यक्तियों, समाज के उपेक्षित समुदाय के लोगों एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अपराधिक वादों के निस्तारण हेतु राज्य के प्रत्येक जिला में (अरवल, शेखपुरा, किशनगंज एवं शिवहर जहॉ वादों की संख्या कम है, को छोड़कर) शेष 34 जिलों में दो त्वरित न्यायालय यथा:- कुल 68 त्वरित न्यायालय के गठन के संबंध में।

भारत सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित वादों के लिए तथा बालकों, नि:शक्त व्यक्तियों, समाज के उपेक्षित समुदाय के लोगों एवं वरिष्ठ नागरिको से संबंधित अपराधिक वादों के निस्तारण के लिए राज्य में त्वरित न्यायालय के गठन हेतु माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त सहमति के आधार पर दिनांक 15.05.2014 को मंत्रिपरिषद् की हुई बैठक के मद सं0-5 में इसे सम्मिलित करते हुए राज्य के 34 जिलों में (अरवल, शेखपुरा, किशनगंज एवं शिवहर जिला को छोड़कर जहाँ वादों की संख्या कम है) प्रत्येक जिला में दो त्वरित न्यायालय अर्थात् विषयांकित अपराधिक वादों के निस्तारण हेतु कुल 68 त्वरित न्यायालय गठित किये जायेगे।

2. राज्य के 34 जिलों में गठित किये जाने वाले 68 त्वरित न्यायालयों के वादों का निष्पादन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि के स्वीकृत/स्थायी किए गये 212 पदों में से रिक्त पदों के विरूद्ध तदर्थ प्रोन्नति देकर कराया जायगा तथा अराजपत्रित पद के स्थायी पदों के विरूद्ध सामंजित 1272 पदों के विरूद्ध 68 न्यायालयों के लिए अनुमान्यता के आधार पर वर्ग-3 एवं 4 के कुल 408 रिक्त पदों पर तर्दथ नियुक्ति कर अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी संविदा पर नियुक्ति कर कार्यो का निष्पादन कराया जायेगा।

3. उक्त त्वरित न्यायालयों पर होने वाले व्यय का वहन तत्काल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मद अन्तर्गत 13वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सुबह, शाम, शिफ्ट न्यायालय के कर्णांकित निधि से की जायेगी तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे इसे चालू रखने के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसे लेने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव दिया जायेगा।

4. अतएव् सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित वादों के लिए तथा बालकों, निःशक्त व्यक्तियों, समाज के उपेक्षित समुदाय के लोगों एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अपराधिक वादों के निस्तारण हेतु राज्य के 34 जिलों (अरवल, शेखपुरा, किशनगंज एवं शिवहर जहॉ वादों की संख्या कम है को छोड़कर) में 68 (अड़सठ) त्वरित न्यायालयों का गठन का निर्णय लिया गया।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **542**-571+250-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in